Unit-6

Environmental Legislation

Water (Prevention And Control Of Pollution) Act Of 1974

India participated in the United Nations Conference on the Human Environment held in Stockholm in June 1972 to take appropriate steps for the preservation of the natural resources of the earth. The act was introduced and incorporated into the Constitution of India in 1974.

As the contamination of water or the alteration of the physical, chemical or biological properties of water, or the discharge of any sewage or trade effluent (whether directly or indirectly) which is likely to render such water harmful or injurious to:

a) Public health or safety.

b) Domestic, commercial, industrial, agricultural or other uses.

c) Life and health of plants, animals or aquatic organisms

Thus an act was essential to control water pollution.

The salient feature of Water Act, 1974 are:

i. The Water (Prevention and Control of Pollution) Act was enacted for prevention and control of water pollution and maintaining or restoring of wholesomeness of water.

ii. The Central and State Pollution Control Boards have been constituted under section 3 and 4 of the water Act respectively.

Obligation on the part of the industries and local bodies are:

i. To obtain prior consent to establish and operate industry for new discharge of domestic sewage or trade effluent under section 25 of the Act.

ii. Board within four months will either refuse or grant consent.

Function Of Central Board:

i. Subject to the provision of this act, the main function of the Central Board shall be to promote cleanliness of streams and wells in different areas of the country.
ii. Advise the central government on any matter concerning the prevention and control of water pollution.
iii. Co-ordinate the activities of the state boards and resolve dispute among them.
iv. Provide technical assistance and guidance to the state boards, carry out and sponsor investigations and research relating to problems of water pollution and prevention.
v. The board may establish or recognize a laboratory or laboratories to enable the board to perform its function under this section efficiently, including the analysis of the samples of water from any stream or well or of sample of any sewage or trade effluents.

Power of State Board:

i. To obtain information under (section 20).
ii. Carry out any related work under (section 30).
iii. Collect and analyze sample of streams/wells or trade effluent under section 17 (2) and 52.
iv. To give direction for closure/prohibition or regulation under section 33A.
v. Enter and inspect any place, examine any plants/records etc. and seize if necessary under section 23.
vi. Anyone failing to abide by the laws of under this Act is liable for imprisonment under Section 24 & Section 43 ranging from not less than one year and six months to six years along with monetary fines.

पर्यावरण कानून

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974

भारत ने पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए उचित कदम उठाने के लिए जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लिया। इस अधिनियम को 1974 में भारत के संविधान में शामिल किया गया था।

पानी के दूषित होने या पानी के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों के परिवर्तन या किसी मल आदि के निष्कासन (चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) के रूप में जो इस तरह के पानी के हानिकारक या विषैले होने की संभावना है:

i. सार्वजनिक स्वास्थ्य व सुरक्षा।
ii. घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषि या अन्य उपयोग।
iii. पौधों, जानवरों या जलीय जीवों का जीवन और स्वास्थ्य

जल अधिनियम, 1974 की मुख्य विशेषताएं हैं:

i. जल प्रदूषण की रोकथाम और प्रदूषण को रोकने के लिए जल (प्रदूषण पर नियंत्रण और नियंत्रण) अधिनियम बनाया गया था।
ii. केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन क्रमशः जल अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत किया गया है।

उद्योगों और स्थानीय निकायों की ओर से दायित्व

a. अधिनियम की धारा 25 के तहत घरेलू मलजल या व्यापार प्रवाह के नए निर्वहन के लिए उद्योग स्थापित करने और संचालित करने के लिए पूर्व सहमति प्राप्त करना।
b. चार महीने के भीतर बोर्ड या तो सहमति देगा या सहमति देगा।

केन्द्रीय बोर्ड का कार्य

a. इस अधिनियम के प्रावधान के अधीन, केंद्रीय बोर्ड का मुख्य कार्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में धाराओं और कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना होगा।
b. जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित किसी भी मामले पर केंद्र सरकार को सलाह देना।
c. राज्य बोर्डों की गतिविधियों का समन्वय करना और उनके बीच विवाद सुलझाना।
d. राज्य बोर्डों को तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना, जल प्रदूषण और रोकथाम की समस्याओं से संबंधित जांच और अनुसंधान करना।
e. बोर्ड किसी प्रयोगशाला या प्रयोगशालाओं की स्थापना या पहचान कर सकता है ताकि बोर्ड इस अनुभाग के तहत अपने कार्य को कुशलतापूर्वक कर सके, जिसमें किसी भी धारा के पानी के नमूनों का विश्लेषण या किसी सीवेज या व्यापार अपशिष्टों का नमूना शामिल हो।

राज्य बोर्ड के अधिकार:

a. धारा 20 के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए।
b. धारा 30 के तहत किसी भी संबंधित कार्य को पूरा करना।
c. धारा 17 (2) और 52 के तहत धाराओं / कुओं या व्यापार के नमूने का नमूना एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना।
d. धारा 33 ए के तहत बंद / निषेध या विनियमन के लिए दिशा देने के लिए।
e. किसी भी जगह में प्रवेश करें और निरीक्षण करें, किसी भी पौधे / रिकॉर्ड आदि की जांच करें और यदि आवश्यक हो तो धारा 23 के तहत जब्त कर लें।
f. इस अधिनियम के तहत कानूनों का पालन करने में विफल कोई भी धारा 24 और धारा 43 के तहत कारावास के लिए एक वर्ष से कम नहीं और छह महीने से छह साल तक के लिए मौद्रिक जुर्माना के साथ उत्तरदायी है।

Air Prevention and Control of Pollution Act (1981) of India

It is also a comprehensive legislation with more than fifty sections. It makes provisions, for Central and State Boards,

1. power to declare pollution control areas,
2. restrictions on certain industrial units,
3. authority of the Boards to limit emission of air pollutants,
4. power of entry, inspection, taking samples and analysis,
5. penalties, offences by companies and Government.
6. The Act specifically empowers State Government to designate air pollution areas and to prescribe the type of fuel to be used in these designated areas.

The main objectives of the Act are as follows:

(a) To provide guidance for the prevention, control and abatement of air pollution.
(b) To provide for the establishment of central and State Boards with a view to implement the Act.
(c) To confer on the Boards the powers to implement the provisions of the Act and assign to the Boards functions relating to pollution.

Powers and Functions of the Boards:

A. Central Pollution Board:

1. The main function of the Central Board is to implement legislation created to improve the quality of air
2. to prevent and control air pollution in the country.
3. The-Board advises the Central Government on matters concerning the improvement of air quality
4. also coordinates activities, provides technical assistance and guidance to State Boards
5. lays down standards for the quality of air.
6. It collects and disseminates information in respect of matters relating to air pollution
7. performs functions as prescribed in the Act.

B. State Pollution Control Boards:

1. The State Boards have the power to advise the State Government on any matter concerning the prevention and control of air pollution.
2. They have the right to inspect at equipments, industrial plant, or manufacturing process
3. They can give orders to take the necessary steps to control pollution.
4. They are expected to inspect air pollution control areas at intervals or whenever necessary.

5. They are empowered to provide standards for emissions parameters regarding to quantity and composition of emission of air pollutants into the atmosphere.
6. A State Board may establish or recognize a laboratory to perform the analysis.
7. The State Governments have been given powers put restriction pollution creating industries in consent with the state pollution control board.

भारत का वायु निवारण और नियंत्रण अधिनियम (1981)

यह पचास से अधिक वर्गों के साथ एक व्यापक कानून है। यह केंद्रीय और राज्य बोर्डों के लिए प्रावधान करता है,

1. प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों की घोषणा करने,
2. कुछ औद्योगिक इकाइयों पर प्रतिबंध,
3. वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए बोर्ड के गठन का अधिकार ,
4. प्रवेश, निरीक्षण, नमूने लेने और विश्लेषण का अधिकार,
5. कंपनियों और सरकार द्वारा दंड, अपराध।
6. अधिनियम विशेष रूप से राज्य सरकार को वायु प्रदूषण क्षेत्रों को नामित करने और इन निर्दिष्ट क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले ईंधन के प्रकार को संरक्षित करने का अधिकार देता है।

अधिनियम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

i. वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के लिए निर्देश प्रदान करना।
ii. अधिनियम को लागू करने की दृष्टि से केंद्रीय और राज्य बोर्डों की स्थापना के लिए प्रदान करना।
iii. बोर्ड के अधिकारों को लागू करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने और प्रदूषण से संबंधित कार्यों को बोर्ड को सौपना ।

बोर्डों के अधिकार और कार्य:

A. केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड:

1. केंद्रीय बोर्ड का मुख्य कार्य हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बनाए गए कानून को लागू करना है

2. देश में वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करना ।
3. बोर्ड वायु गुणवत्ता में सुधार से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है
4. गतिविधियों का समन्वय भी करता है, राज्य बोर्डों को तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है
5. हवा की गुणवत्ता के लिए मानकों का निर्धारण करना ।
6. यह वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों के संबंध में सूचना एकत्र करना और प्रसारित करता है
7. अधिनियम में निर्धारित नियमानुसार कार्य करता है।

B राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड:

i. वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित किसी भी मामले पर राज्य बोर्डों को राज्य सरकार को सलाह देने का अधिकार है।
ii. उन्हें उपकरणों, औद्योगिक संयंत्र या विनिर्माण प्रक्रिया का निरीक्षण करने का अधिकार है
iii. वे प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के आदेश दे सकते हैं।
iv. उनसे समय समय पर या जब भी आवश्यक हो वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों का निरीक्षण करने की अपेक्षा की जाती है।
v. वायुमंडल में वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा और संरचना के बारे में उत्सर्जन मानकों के लिए मानक प्रदान करने के लिए उन्हें सशक्त बनाया गया है।
vi. एक राज्य बोर्ड विश्लेषण करने के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित या पहचान सकता है।
vii. राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि वे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ सहमति से उद्योग बनाने पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।

Environmental (Protection) Act 1986

Environment Protection Act, 1986 is an Act of the Parliament of India. In the wake of the Bhopal Tragedy, the Government of India enacted the Environment Protection Act of 1986 under Article 253 of the Constitution. Passed in March 1986, it came into force on 19 November 1986. It has 26 sections and 4 chapters. The purpose of

the Act is to implement the decisions of the United Nations Conference on the Human Environment.

According to the Environmental (Protection) Act 1986, the term environment includes water, air, land and the interrelationship which exist among and between water, air, land and human beings, other living creatures, micro-organism, plant and property.

The salient features of the act are:

1. The central government shall have the power to take all such measure for the purpose of protecting and improving the quality of the environment and preventing, controlling and decreasing environmental pollution.
2. No person carrying on any industry, operation or processes shall discharge or emit any environmental pollutants
3. No person shall handle or cause to be handled any hazardous substances except in accordance with such procedure and after complying with such safeguards as may be prescribed.
4. The central government or any officer empowered by it, shall have power to take, for the purpose of analysis, sample of air, water, soil or other substances from any premises, factory etc. as may be prescribed.
5. Whoever fails to comply with or violate any of the provisions of this Act or the rules or orders or directions issued? All such failure or violation be punishable with imprisonment or with fine or with both.

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 भारत की संसद का एक अधिनियम है। भोपाल त्रासदी के मद्देनजर, भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया। मार्च 1986 में पारित, यह 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। इसमें 26 खंड और 4 अध्याय हैं। अधिनियम का उद्देश्य मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निर्णयों को लागू करना है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अनुसार, पर्यावरण में जल, वायु, भूमि और उनके परस्पर सम्बन्ध सम्मिलित हैं जो जल, वायु, भूमि और मानव के बीच तथा अन्य जीवित प्राणियों, सूक्ष्म जीव, पौधे और संपत्ति के बीच मौजूद हैं।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं:

1. केंद्र सरकार के पास पर्यावरण की गुणवत्ता को बचाने और सुधारने और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के उद्देश्य से ऐसे सभी उपाय करने की का अधिकार होगा।

2. किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रियाओं को करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी पर्यावरण प्रदूषक का निर्वहन या उत्सर्जन नहीं करेगा

3. कोई भी व्यक्ति इस तरह की प्रक्रिया को छोड़कर और निर्धारित किए गए सुरक्षा उपायों का पालन करने के अलावा किसी भी खतरनाक पदार्थ को संभालने या संभालने का कारण नहीं होगा।

4. केंद्र सरकार या इसके द्वारा सशक्त किसी भी अधिकारी के पास, किसी भी परिसर, कारखाने आदि से हवा, पानी, मिट्टी या अन्य पदार्थों के नमूने के रूप में निर्धारित किए जा सकने वाले विश्लेषण के उद्देश्य से लेने का अधिकार होगा।

5. जो कोई भी इस अधिनियम के प्रावधानों या जारी किए गए नियमों या आदेशों या निर्देशों का पालन या उल्लंघन करने में विफल रहता है? ऐसी सभी विफलता या उल्लंघन, कारावास के साथ या जुर्माना या दोनों के साथ दंडनीय है।

Environmental Impact Assessment

Environmental Impact Assessment (EIA) is defined as an activity designed to identify the impact on the environment, on man and well-being of legislative projects and policies.

EIA is a systematic process of identifying future consequences of a current or proposed action.

Objective of EIA:

The objective of EIA is

(i) to identify, predict and evaluate the economic, environmental and social impact of development activities

(ii) to provide information on the environmental consequences for decision making and

(iii) to promote environmentally sound and sustainable development through the identification of appropriate alternatives and mitigation measures.

EIA is widely accepted as a tool to ensure sustained development with minimum environmental degradation.

Phases involve in the EIA Process: Some important as well as integral phases of EIA are discussed below:

1. Screening:

Project screening is the 1st stage of EIA. In this stage list of all projects are made and tried to identify those projects which have considerable environmental impacts and hence required EIA.

2. Scoping:

Consideration of issues and impacts for EIA can be defined as a scoping stage. This stage is very wide and extensive because consultations, discussions, experts' opinions etc. are very important at this stage.

3. Selection of Alternatives:

In the scoping stage also selection of alternatives are considered. This include alternative sites or location, technology, commodity and process which are determine on the basis of collecting data and information from various possible sources.

4. Mitigating measures:

Mitigation can be defined as a process of removing or reducing the adverse hazardous environmental impact of the project.

5. Environmental statement (ES):

It is defined by the International Chamber of Commerce as a management tool comprising a systematic, documented, periodic and objective evaluation of how well environmental organizations, management and equipment are performing with the aim of helping to safeguard the environment.

पर्यावरण प्रभाव आकलन **Environmental Impact Assessment**

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) को पर्यावरण पर प्रभाव की पहचान करने के लिए डिज़ाइन की गई गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया है, जो परियोजनाओं और नीतियों और व्यक्ति के कल्याण के लिए है।

ई. आई. ए. एक वर्तमान या प्रस्तावित कार्रवाई के भविष्य के परिणामों की पहचान करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है।

ई.आई.ए. का उद्देश्य:

i. विकास गतिविधियों के आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव की पहचान, भविष्यवाणी और मूल्यांकन करना
ii. निर्णय लेने के लिए पर्यावरणीय परिणामों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए औरउपयुक्त विकल्पों और शमन उपायों की पहचान के माध्यम से पर्यावरणीय ध्वनि और सतत विकास को बढ़ावा देना।
iii. ईआईए व्यापक रूप से न्यूनतम पर्यावरणीय गिरावट के साथ निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए एक उपकरण के रूप में स्वीकार किया जाता है।

ई.आई.ए. प्रक्रिया में शामिल चरण: कुछ महत्वपूर्ण और ई.आई.ए. के अभिन्न चरणों के बारे में नीचे चर्चा की गई है:

1. स्क्रीनिंग Screening:

प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग ई.आई.ए. का पहला चरण है। इस चरण में सभी परियोजनाओं की सूची बनाई जाती है और उन परियोजनाओं की पहचान करने की कोशिश की जाती है जिनके पर्यावरण पर काफी प्रभाव पड़ता है और इसलिए उन्हें ईआईए की आवश्यकता होती है।

2. कार्यक्षेत्र Scoping:

ई.आई.ए के लिए मुद्दों और प्रभावों पर विचार को एक स्कोपिंग स्टेज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह चरण बहुत विस्तृत और व्यापक है क्योंकि इस स्तर पर परामर्श, चर्चा, विशेषज्ञों की राय आदि बहुत महत्वपूर्ण हैं।

3. विकल्पों का चयन Selection of Alternatives:

स्कोपिंग स्टेज में भी विकल्पों के चयन पर विचार किया जाता है। इसमें वैकल्पिक साइट या स्थान, तकनीक, कमोडिटी और प्रक्रिया शामिल हैं जो विभिन्न संभावित स्रोतों से डेटा और जानकारी एकत्र करने के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।

4. कम करने के उपाय Mitigation Measures:

शमन (mitigation) को परियोजना के प्रतिकूल खतरनाक पर्यावरणीय प्रभाव को हटाने या कम करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

5. पर्यावरण कथन (Environmental statement):

यह इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा एक प्रबंधन उपकरण के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक व्यवस्थित, आवधिक और उद्देश्य मूल्यांकन शामिल है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद करने के उद्देश्य से पर्यावरण संगठन, प्रबंधन और उपकरण कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।

National Green Tribunal (NGT)

Role and Functions of National Green Tribunal

In 1992, the United Nations Conference on Environment and Development was held in Rio de Janeiro, India pledged to provide administrative and judicial remedies for the victims who have suffered problems due to different pollutants and other environmental damage.

The Supreme Court of India suggested that there should be environmental courts on regional basis with professional judges and 2 experts for speedy justice for environmental protection.

As a result of this dire need for speedy justice The National Green Tribunal (NGT) was founded on 18th October, 2010 under the National Green Tribunal Act, 2010. It was a result of long procedure and the demand for such tribunal started long back in the year 1984 after the Bhopal gas tragedy.

Composition of NGT

1. The tribunal shall consist of minimum of 10 members and not more than 20 members.
2. The members will be a mix of judges and expert members on environmental issues.
3. Every bench of tribunal must consist of at least one expert member and one judicial member
4. The qualification required by the person to become a chairperson is that he should have been a Supreme Court judge or chief justice of a High Court
5. An expert member of the tribunal shall possess a degree of master of sciences with a doctorate degree or masters of Engg. & technology having fifteen years of experience in that field with a five year experience in fields of environment and forests.
6. The tribunal shall consist of the following people:

a. A full-time Chairperson;
b. At least 10 members and not more than 20 members consisting of full-time Judicial officials as notified by the Central Government from time to time;

Objectives of the National Green Tribunal

There are three important objectives of the National Green Tribunal, they are:

1. The speedy and effective disposal of all the cases related to environmental protection and other natural resources. All the previous pending cases will also be decided by the Tribunal.
2. Its main aim is to legally enforce all the rights relating to the environment.
3. It accounts for providing compensation and justice to all the affected people in case of any damage.

Role and Functions of NGT

1. It will handle the disputes related to the environment which includes multi-disciplinary issues as well.
2. The Code of Civil Procedure, 1908, shall not bind the Tribunal as it is to be guided by natural justice principles.
3. The jurisdiction of the Tribunal shall provide speedy trials of the environment-

4. The tribunal is mandated to dispose of environment-related issues within 6 months of filing the complaint.
5. The National Green Tribunal need not follow all that is given under the Civil Procedure Code but can regulate the procedure by itself and applies the principle of natural justice in administering justice.
6. It is required to apply principles such as sustainable development at the time of awarding compensation or giving orders.
7. It should have in mind the principle that whoever is found polluting will have to pay.
8. The tribunal is allowed to be a civil court to settle the matters.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण की भूमिका और कार्य

1992 में, रियो डी जनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था, भारत ने विभिन्न प्रदूषकों और अन्य पर्यावरणीय क्षति के कारण समस्याओं का सामना करने वाले पीड़ितों के लिए प्रशासनिक और न्यायिक उपचार प्रदान करने का संकल्प लिया।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया कि व्यावसायिक सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय न्यायाधीशों और पर्यावरण संरक्षण के लिए त्वरित न्याय के लिए 2 विशेषज्ञों के साथ पर्यावरण अदालतें होनी चाहिए।

त्वरित न्याय के लिए इस सख्त आवश्यकता के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) की स्थापना 18 अक्टूबर, 2010 को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत की गई थी। यह लंबी प्रक्रिया का परिणाम था और भोपाल गैस त्रासदी के 1984 बाद इस तरह के न्यायाधिकरण की मांग फिर से शुरू हो गई थी। ।

एनजीटी की रचना

1. न्यायाधिकरण में न्यूनतम 10 सदस्य होंगे और 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे।
2. सदस्य पर्यावरण के मुद्दों पर न्यायाधीशों और विशेषज्ञ सदस्यों का समूह होंगे।
3. न्यायाधिकरण की प्रत्येक पीठ में कम से कम एक विशेषज्ञ सदस्य और एक न्यायिक सदस्य होना चाहिए
4. एक चेयरपर्सन बनने के लिए व्यक्ति के लिए आवश्यक योग्यता यह है कि उसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए।

5. ट्रिब्यूनल के एक विशेषज्ञ सदस्य के पास डॉक्टरेट की डिग्री के साथ विज्ञान के मास्टर की डिग्री या प्रौद्योगिकी (मास्टर की डिग्री) तथा उस क्षेत्र में पंद्रह साल का अनुभव रखने के साथ पर्यावरण और जंगलों के क्षेत्र में पांच साल का अनुभव।
6. न्यायाधिकरण में निम्नलिखित लोग शामिल होंगे:
   a. एक पूर्णकालिक (Full time) अध्यक्ष;
   b. केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित पूर्णकालिक सदस्यों में कम से कम 10 सदस्य और 20 से अधिक सदस्य नहीं होतेहैं;

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के उद्देश्य

राष्ट्रीय हरित अधिकरण के तीन महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं:

1. पर्यावरण संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित सभी मामलों का त्वरित और प्रभावी निस्तारण । पिछले सभी लंबित मामलों का फैसला भी ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाएगा।
2. इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण से संबंधित सभी अधिकारों को कानूनी रूप से लागू करना है।
3. यह किसी भी क्षति के मामले में सभी प्रभावित लोगों को मुआवजा और न्याय प्रदान करने के लिए है।

एनजीटी की भूमिका और कार्य

1. यह पर्यावरण से संबंधित विवादों को संभालेगा जिसमें बहु-विषयक मुद्दे भी शामिल हैं।
2. नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908, ट्रिब्यूनल को बाध्य नहीं करेगी क्योंकि इसे प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना है।
3. न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार पर्यावरण के त्वरित परीक्षण प्रदान करेगा
4. न्यायाधिकरण को शिकायत दर्ज करने के 6 महीने के भीतर पर्यावरण से संबंधित मुद्दों का निस्तारण करने के लिए अनिवार्य है।
5. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दी गई सभी बातों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रक्रिया को स्वयं ही विनियमित कर

सकते हैं और न्याय के संचालन में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को लागू कर सकते हैं।

6. मुआवजे देने या आदेश देने के समय टिकाऊ विकास (Sustainable development) जैसे सिद्धांतों को लागू करना आवश्यक है।
7. यह उस सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए जो कोई भी प्रदूषित पाया जाता है उसे जुर्माना भुगतान करना होगा।
8. न्यायाधिकरण को मामलों के निपटारे के लिए दीवानी न्यायालय होने की अनुमति है।